

न्यायलय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर, कपासन जिला - चितौड़गढ (राज.)

(पीठासीन अधिकारी, ग्रामीण सेवा शिविर 2025 कैम्प स्थल - उद्यनरखुट्ट-----)



धारा अन्तर्गत - 136

प्र.सं. 270/25

दापर दिनांक 29.11.2025 निर्णय दिनांक 29.11.2025

क्र.सं.	नाम-ग्राम	खान	रिपोर्ट	कार्यलय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर कपासन आदेश		
1	<u>उद्यनरखुट्ट</u>	<u>140</u>	<p>महोदय जी, निवेदन है कि मुलाबिक बैंक आदेश क्रमांक / 2025-26 / 113 दिनांक 26.09.2023 एवं गजट नोटिफिकेशन दिनांक 07.04.2025 की पालना बड़ौदा क्षेत्रीय राजस्थान ग्रामीण बैंक का नाम बदलकर राजस्थान ग्रामीण बैंक किया जाना उचित है। मूल ही पत्रावली श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय कृपासन को प्रेषित है।</p> <p>वर्तमान प्रविष्टी बड़ौदा क्षेत्रीय राजस्थान ग्रामीण बैंक</p> <p>शुद्ध प्रविष्टी राजस्थान ग्रामीण बैंक</p>	<p>तहसिलीदार कपासन की अनुशंखा स्वीकार की जाकर राज.भू.श.अधि.1956 की धारा 136 के अध्यायीन अनुसार राजस्व रेकार्ड में ग्राम <u>उद्यनरखुट्ट</u> प.ह. <u>उद्यनरखुट्ट</u> खतासं. <u>140</u> में वर्तमान प्रविष्ट बड़ौदा क्षेत्रीय राजस्थान ग्रामीण बैंक को शुद्ध किया जाकर राजस्थान ग्रामीण बैंक राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किये जाने का आदेश दिया जाता है।</p>		
			<p>हस्ताक्षर पत्रावली <u>प.ह. उद्यनरखुट्ट</u></p>	<p>हस्ताक्षर गिरहवावर <u>प.ह. उद्यनरखुट्ट</u></p>	<p>हस्ताक्षर व मोहर तहसीलदार <u>प.ह. उद्यनरखुट्ट</u></p>	<p>पदेन सहायक कलक्टर कपासन <u>प.ह. उद्यनरखुट्ट</u></p>

प्रतिलिपि पालनार्थ:-

तहसीलदार(भू.अ.) कपासन

1. पटवारी पटवार मण्डल को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रेकार्ड में अमलदरामद कपासन जिला-चितौड़गढ

तहसीलदार(भू.अ.) कपासन